न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 810 / 2022

अनवान : –

1. मीरा पत्नी दुलीचन्द जाति नायक निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा।

– वादीया

बनाम्

1. रोशनी पत्नी घीसाराम जाति नायक निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा–फौत
2. हरफूलराम पुत्र घीसाराम जाति नायक निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा।
3. मानसिंह पुत्र घीसाराम जाति नायक निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा।
4. दौलतराम पुत्री घीसाराम जाति नायक निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा।
5. सजना देवी पुत्री घीसाराम जाति नायक निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा।
6. सरबती देवी पुत्री घीसाराम जाति नायक निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा।
7. रेशमी पुत्री घीसाराम जाति नायक निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा।
8. झन्डुराम पत्र घीसाराम जाति नायक निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा।
9. रोशनी पुत्री कालुराम उर्फ रामकुमार जाति नायक निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा।
10. रिटा पुत्री कालुराम उर्फ रामकुमार जाति नायक निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा।
11. मनप्रीत पुत्र कालुराम उर्फ रामकुमार जाति नायक निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा।
12. गुरप्रीत पुत्र कालुराम उर्फ रामकुमार जाति नायक निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा।
13. विद्या पत्नी बाबुलाल जाति नायक निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा।
14. मदन पुत्र बाबुलाल जाति नायक निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा।
15. रमेश पुत्र बाबुलाल जाति नायक निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा।
16. रामदयाल पुत्र बाबुलाल जाति नायक निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा।
17. वीरपाल पुत्र बाबुलाल जाति नायक निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा।
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादीगण**
श्री माडुराम अधिवक्ता प्रतिवादी स0 3 व 4
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 17/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एव प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मोजा 6 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 121 / 108 की कुल 6.3250 हैक्टे भूमि वादीया के ससुर घीसाराम पुत्र पुरखाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:31:05 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त वादी वादीया की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीया का जन्मजात हक हिस्सा है वादीया के ससुर घीसाराम पुत्र पुरखाराम का देहान्त हो चुका है जिसके बाद

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

घीसाराम के वारिस रोशनी (पत्नी) व हरफुलराम, मानसिंह, दोलतराम, सजना देवी, सरबती, रेशमी, झण्डुराम, कालु उर्फ रामकुमार, बाबुलाल व दुलीचन्द हुए जिसमे से कालु उर्फ रामकुमार का स्वर्गवास हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी सं0 9 ता 12 है एवं बाबुलाल पुत्र घीसाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 17 है दुलीचन्द पुत्र घीसाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसकी वारिस वादीया है। घीसाराम के नाम दर्ज वाद भूमि को उसके वारिस प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 प्रत्येक 1/11 हिस्सा, वादीया अकेली 1/11 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 सयुंक्त रूप से 1/11 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 को 1/11 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 13 ता 17 संयुक्त रूप से 1/11 हिस्सा भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 9 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 9 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 18 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण दुलीचन्द, घीसाराम, कालुराम व सदस्य प्रमाण पत्र बाबत घीसाराम दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 5 ता 8 व 10 ता 17 को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त वादी वादी की दादालाई [illegible] जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है उपरोक्त वादी वादीया की दादा[illegible] वादीया का जन्मजात हक हिस्सा है वादीया के ससुर घीसाराम [illegible] देहान्त हो चुका है जिसके बाद घीसाराम के वारिस रोशनी (पत्नी) व हरफुलराम, मानसिंह, दोलतराम, सजना देवी, सरबती, रेशमी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:31:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

झण्डुराम, कालु उर्फ रामकुमार, बाबुलाल व दुलीचन्द हुए जिसमे से कालु उर्फ रामकुमार का स्वर्गवास हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी सं0 9 ता 12 है एवं बाबुलाल पुत्र घीसाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 17 है दुलीचन्द पुत्र घीसाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसकी वारिस वादीया है। घीसाराम के नाम दर्ज वाद भूमि को उसके वारिस प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 प्रत्येक 1/11 हिस्सा, वादीया अकेली 1/11 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 सयुंक्त रूप से 1/11 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 को 1/11 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 13 ता 17 संयुक्त रूप से 1/11 हिस्सा भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 3, 4 व 9 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा 6 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 121/108 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि घीसाराम पुत्र पुरखाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि उपरोक्त वादी वादीया की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीया का जन्मजात हक हिस्सा है वादीया के ससुर घीसाराम पुत्र पुरखाराम का देहान्त हो चुका है जिसके बाद घीसाराम के वारिस रोशनी (पत्नी) व हरफुलराम, मानसिंह, दोलतराम, सजना देवी, सरबती, रेशमी, झण्डुराम, कालु उर्फ रामकुमार, बाबुलाल व दुलीचन्द हुए जिसमे से कालु उर्फ रामकुमार का स्वर्गवास हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी सं0 9 ता 12 है एवं बाबुलाल पुत्र घीसाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 17 है दुलीचन्द पुत्र घीसाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसकी वारिस वादीया है। घीसाराम के नाम दर्ज वाद भूमि को उसके वारिस प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 प्रत्येक 1/11 हिस्सा, वादीया अकेली 1/11 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 सयुंक्त रूप से 1/11 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 को 1/11 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 13 ता 17 संयुक्त रूप से 1/11 हिस्सा भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 3, 4 व 9 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया गया है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 6 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 121/108 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि घीसाराम पुत्र पुरखाराम का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 प्रत्येक 1/11 हिस्सा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:31:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादीया अकेली 1/11 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 सयुंक्त रूप से 1/11 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 को 1/11 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 13 ता 17 संयुक्त रूप से 1/11 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 17/9/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:31:05 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 810 / 2022
अनवान : –

1. मीरा पत्नी दुलीचन्द जाति नायक निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा।

– वादीया

बनाम्

1. रोशनी पत्नी घीसाराम जाति नायक निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा–फौत
2. हरफूलराम पुत्र घीसाराम जाति नायक निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा।
3. मानसिंह पुत्र घीसाराम जाति नायक निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा।
4. दौलतराम पुत्री घीसाराम जाति नायक निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा।
5. सजना देवी पुत्री घीसाराम जाति नायक निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा।
6. सरबती देवी पुत्री घीसाराम जाति नायक निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा।
7. रेशमी पुत्री घीसाराम जाति नायक निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा।
8. झन्डुराम पत्र घीसाराम जाति नायक निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा।
9. रोशनी पुत्री कालुराम उर्फ रामकुमार जाति नायक निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा।
10. रिटा पुत्री कालुराम उर्फ रामकुमार जाति नायक निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा।
11. मनप्रीत पुत्र कालुराम उर्फ रामकुमार जाति नायक निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा।
12. गुरप्रीत पुत्र कालुराम उर्फ रामकुमार जाति नायक निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा।
13. विद्या पत्नी बाबुलाल जाति नायक निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा।
14. मदन पुत्र बाबुलाल जाति नायक निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा।
15. रमेश पुत्र बाबुलाल जाति नायक निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा।
16. रामदयाल पुत्र बाबुलाल जाति नायक निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा।
17. वीरपाल पुत्र बाबुलाल जाति नायक निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा।
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 810 सन 20242निर्णय दिनांक 17/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं वकील प्रतिवादी श्री माडुराम व राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 6 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 121 / 108 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि घीसाराम पुत्र पुरखाराम का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 प्रत्येक 1 / 11 हिस्सा, वादीया अकेली 1 / 11 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 सयुंक्त रूप से 1 / 11 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 को 1 / 11 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 13 ता 17 संयुक्त रूप से 1 / 11 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकार [illegible] करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/9/2024 को [illegible] न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:31:05 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर